न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2023/48 दर्ज तिथिः–25.08.2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
चिमनाराम आदि		लालचन्द आदि
जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डूडी		जरिये अधिवक्ता श्री बजरंगलाल शर्मा, श्री प्रितमसिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–09
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथिः–23.01.2026

–:निर्णयः–

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि अनुवान संख्या 435/2017 निर्णय दिनांक 20.09.2023 को वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 व धारा 151 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रिस्टोर किये जाने निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार हैः–

- उपरोक्त अनवानी दावा वादीगण राजस्व प्रकृति का होने के कारण से वादीगण की व्यक्तिगत उपस्थिति दावा में अनिवार्य थी दावा की पैरवी उनके अधिवक्ता मार्फत हो रही थी, दावा पेश करने पर वादीगण ने अपने अधिवक्ता को यह हिदायत दी थी कि जब भी आपको वादीगण की दावा की कार्यवाही में जरूरत हो आप पत्र भेज कर अथवा मोबाईल से सामाचार भेज कर बुला लेना दावा पेश करने के वक्त नियुक्त वकील वादीगण ने दावा में जब रूचि कम लेनी शुरू कर दी तो वादी सं. 1 अपने दावा में दूसरे वकील श्री भींवसिंह को नियुक्त कर दिया गया मगर दावा वादीगण जो तेजी से चलने वाला था चलते चलते रेंगना शुरू कर दिया ओर रेंगते रेंगते मृत प्रायः हो गया व वकील वादीगण ने दावा बाबत कोई सामाचार नहीं भेजा इसी दौरान कौराना महामारी में सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया जिससे भारत भी अछूता नहीं रह सका इसी कोरोना की लहरों में वादीगण के वकील श्री भींवसिंह का स्वर्गवास हो गया उसके बाद वकीलों की हड़ताल शुरू हो गई इसी दौरान दावा वादीगण अदम हाजरी वादीगण व अदम पैरवी वादीगण में [illegible] 20.09.2022 को खारिज फरमा दिया गया। वादी सं. 1 स्वयं भी बीमार हो गया [illegible] ठीक होने पर दिनांक 10.08.2023 को चूरू चल कर आया व अपने [illegible] सम्पर्क कर दावा की बाबत पता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

किया तो वादी सं. 1 को पता चला कि दावा वादीगण खारिज हो चुका है आंशिक जानकारी हुई इस पर उसी दिन दावा खारिज किए जाने के आदेश की व अन्य कागजात की नकले लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 11.08.2023 को दावा खारिज किए जाने के आदेश की व अन्य कागजात की नकलें प्राप्त की इस पर वादीगण को आदेश जेर बहस प्रार्थना–पत्र बाबत पूर्ण जानकारी हुई पूर्ण जानकारी की दिनांक से यह प्रार्थना–पत्र वादीगण की ओर से अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण वादीगण पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर आदेश जेर बहस प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.09.2022 खारिज फरमाया जाकर दावा वादीगण रेस्टोर फरमाते हुए पुनः वाजबे नम्बर पर लिए जाने का आदेश फरमावे।

- प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम उपरोक्त अनुवानी दावा राजस्व प्रकृति का था जिसमें वादीगण की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी वादीगण की ओर से दावा में पैरव वादीगण के वकील की ओर से की जा रही थी दावा पेश करते समय वकील को हिदायत दी गई थी कि जब भी वादीगण की दावा की किसी भी कार्यवाही में जरूरत हो तो पत्र कर अथवा वादीगण के मोबाईल नम्बर से सामाचार भेज कर बुला लेना–दावा पेश करते समय नियुक्त किए वकील ने जब रूचि लेनी कम कर दी तो वादी सं. 1 ने अपना दावा में श्री भींवसिंह एडवोकेट को वकील नियुक्त कर दिया मगर दावा वादीगण धीमी गति से चलता रहा वकील वादीगण ने वादीगण को कोई सामाचार नहीं भेजा इसी दौरान कोरोना महामारी ने सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा इसी कोरोना की लहरों में वादीगण के वकील श्री भींवसिंह का स्वर्गवास हो गया उसके बाद वकीलों की हड़ताल शुरू हो गई इसी दौरान दावा वादीगण अदम हाजरी वादीगण व अदम पैरवी वादीगण में दिनांक 20.09.2022 को खारिज फरमा दिया वादी संख्या 1 चूरू चल कर आया व अपने परिचित वकील श्री सुरेन्द्र डूडी से संपर्क कर दावा की बाबत पता किया तो वादी सं. 1 को पता चला कि दावा वादीगण खारिज हो चुका है आंशिक जानकारी हुई इस पर उसी दिन दावा खारिज किए जाने के आदेश की व अन्य कागजात की नकलें लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 11.08.2023 को दावा खारिज किए जाने के आदेश की व अन्य कागजात की नकलें मिली इस पर दावा खारिज किए जाने के आदेश की बाबत पूर्ण जानकारी हुई पूर्ण जानकारी की दिनांक 11.08.2023 से प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुई देरी को ऊपर वर्णित परिस्थितियों में हुई है प्रार्थीगण वादीगण ने जानबूझ कर देरी नहीं की है। प्रार्थीगण वादीगण के द्वारा पेश किए गये प्रार्थना–पत्र में हुई देरी को कन्डोन नहीं किया गया तो प्रार्थीगण वादीगण को कभी पूरा न होने वाला नुकसान हो जायेगा वादीगण प्रार्थीगण सही न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेंगे। अतः प्रार्थना–पत्र शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी को पेश करने में हुई देरी को कन्डोन फरमाया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।
- प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनुवानी दावा के वादी सं. 2 भेभाराम का दिनांक 09.03.2016 को ब मुकाम ढाढर तहसील चूरू में स्वर्गवास हो चुका [illegible] वारिस भंवरी पत्नी, सुभाषचन्द पुत्र, धर्मपाल पुत्र, सरोज पुत्री हैं। अतः प्रार्थना [illegible] समाप्त पत्र व प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ–[illegible] भेभाराम वादी सं. 2 के कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

मुकामान जायज वारिसान को स्व. भेभाराम वादी सं. 2 के स्थान पर बतौर वादीगण कायम मुकामान बनाये जाकर दावा की आगे की कार्यवाही चालू रखी जावे।

- प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की से अधिवक्ता श्री बजरंगलाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर अधिवक्ता श्री प्रितमसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उपरोक्त अनवानी प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। प्रार्थीगण ने अपने इस प्रार्थना–पत्र में अपना वाद पत्र खारिज किये जाने के बाबत जो तथ्य अंकित किये है वे कतई गलत व मिथ्या रूप से दर्ज किये गये हैं। वाद पत्र वादीगण द्वारा पेश किया गया था जिसकी न्यायालय द्वारा नियत तारिख पेशियों पर हाजिर अदालत आने अथवा अपने वकील साहब के साथ संपर्क स्थापित कर अपने दावा के बाबत हर पेश पर क्या कार्यवाही हुई इसका सम्यक ज्ञान व जानकारी रखना वादीगण का विधिक कर्तव्य रहा है मगर इस प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से यह तथ्य एकदत स्पष्ट है कि इस प्रार्थना–पत्र के प्रार्थीगण जो मूल दावा के वादीगण रहे है ने कभी भी अदालतवाला में उपस्थित आकर अपने दावा की कोई सार संभाल नहीं की तथा न ही प्रार्थीगण ने किस तारीख पेशी पर क्या कार्यवाही हुई इसके बाबत अपने वकील साहब से संपर्क कर ज्ञान व जानकारी प्राप्त की, वादीगण द्वारा जो वाद पत्र न्यायालय में पेश किया जाता है उसकी हर प्रकार की कार्यवाही का ज्ञान व जानकारी रखना वादीगण का विधिक दायित्व होता है जिसकी पालना प्रार्थीगण द्वारा अपने दावा के बाबत नहीं की गई है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में अपना दावा दिनांक 20.09.2022 को अदालतवाला द्वारा खारिज फरमा दिये जाने का तथ्य अंकित किया है तथा दावा खारिज होने की जानकारी दिनांक 10.08.2023 को होनी अंकित की है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में अपनी बीमारी का भी विवरण अंकित किया है मगर प्रार्थी सं. 1 के बीमार रहने का कोई प्रमाण–पत्र अपने प्रार्थना–पत्र के साथ पेश नहीं किया है। इस प्रार्थना–पत्र में अंकित किये गये सभी कारण वजूहात प्रार्थीगण द्वारा गलत व बेबुनियाद रूप से अंकित किये गये है जिनके सही व सत्य होने का कोई आधार व औचित्य नहीं है। यहां यह अंकित कर देना भी उचित होगा कि पूर्व में भी इन्हीं कृषि भूमियों बाबत प्रार्थीगण के पिता रूपाराम व अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के पिता सूरजाराम के मध्य राजस्व वाद चलते रहे हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में ने तो उस दावा के पक्षकारान का कोई सही व सत्य विवरण अंकित किया है ना ही दावा का अनुवान अंकित किया है तथा ना ही दावा किस अनुतोष के लिए पेश किया हुआ रहा है इसका कोई अंकन किया है। प्रार्थीगण ने मात्र सरसरी रूप से अपने कथन अंकित करते हुए दावा को वाजबे नंबर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो किसी भी प्रकार चलने योग्य नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद पेश हुआ नहीं होने से प्रारम्भतः ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में कतई गलत व मिथ्या तथ्यों का स्वादेश किया है। जिनकी बिनाय पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम [illegible] धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 3 से 5 को बार–बार अवसर [illegible] जाने के बावजूद इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने जवाब [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

- पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर आदेश जेर बहस प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.09.2022 खारिज फरमाया जाकर दावा वादीगण रेस्टोर फरमाते हुए पुनः वाजबे नम्बर पर लिए जाने का आदेश फरमावे। अप्रार्थी सं 1 व 2 अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बीमारी का सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र. आदेश 9 नियम 9 सीपीसी मय धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।
- आज यह पत्रावली आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 सहपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर आदेशार्थ पेश हुई। संक्षेप में तथ्य यह है कि अनुवान संख्या 435/2017 में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 20.09.2022 को वादीगण की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी के कारण खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात वादीगण द्वारा दिनांक 20.09.2023 को आदेश 9 नियम 9 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत वाद को बहाल (Restore) किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही उक्त प्रार्थना–पत्र में हुई देरी को माफ किए जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत पृथक प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का कथन है कि वाद की पैरवी उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से की जा रही थी। वादीगण के नियुक्त अधिवक्ता श्री भींवसिंह का कोरोना महामारी के दौरान देहांत हो गया, तत्पश्चात वकीलों की हड़ताल एवं वादी संख्या 1 की बीमारी के कारण वादीगण वाद की स्थिति से अनभिज्ञ रहे। दिनांक 10.08.2023 को वादी संख्या 1 को वाद खारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके पश्चात दिनांक 11.08.2023 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर वर्तमान प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। साथ ही आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के अंतर्गत वादी संख्या 2 स्व. भेभाराम के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किए जाने का भी निवेदन किया गया है।
- अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है। यह कहा गया है कि वादीगण द्वारा अपने वाद की पैरवी में घोर लापरवाही बरती गई है, बीमारी का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रार्थना–पत्र मियाद से परे है। अतः प्रार्थना–पत्र को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य बताया गया है।
- प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को बहाल किए जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित तर्कों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र को खारिज किए जाने का आग्रह किया गया।
- अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद वादीगण द्वारा जानबूझकर अनुपस्थित रहकर खारिज नहीं कराया गया है। यह तथ्य विवादित नहीं है कि वादीगण के अधिवक्ता का कोरोना महामारी के दौरान देहांत हो गया था तथा उक्त अवधि में न्यायिक कार्यवाही सामान्य रूप से प्रभावित रही। इसके अतिरिक्त, वादीगण द्वारा जैसे ही वाद खारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई, तत्पश्चात बिना अनावश्यक विलंब के वर्तमान प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।
- यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को तकनीकी आधारों पर वास्तविक न्याय को विफल नहीं करना चाहिए तथा यदि वादीगण द्वारा अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाया गया हो तो वाद को बहाल किया जाना न्यायोचि[illegible]
- अतः न्यायालय इस निष्क[illegible] प्रस्तुत कारण "पर्याप्त कारण" की श्रेणी में आते हैं तथा देरी जानबूझकर नहीं की [illegible]। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

चिमनाराम आदि बनाम लालचन्द आदि
2023/48
निर्णय दिनांकः–23.01.2026

आदेश है कि

बादीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाता है। आदेश 9 नियम 9 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। दिनांक 20.09.2022 का वाद खारिज करने का आदेश निरस्त किया जाता है। अनुवान संख्या 435/2017 को अपने मूल क्रमांक पर बहाल कर पुनः वाजबे नंबर पर लिया जाता है। पत्रावली नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु नियत की जाए।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.01.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested